# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 04/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/36

उनवान

1. सूबेदार पुत्र स्व0 धर्म सिंह जाति गूजर
2. जती पुत्र स्व0 धर्म सिंह
3. अमीर सिंह पुत्र स्व0 धर्म सिंह
4. दिनेश पुत्र स्व0 धर्म सिंह

} निवासी गुरधा डॉग तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बयाना, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 03.10.2019 उनवानी सूबेदार बनाम सरकार मु0न0 166/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 19.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 03.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गुरधा डांग तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है, जो वादीगण अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। यह आराजी वादीगण के पिता व पूर्वजो के खुदकाश्त व खेवट की आराजी है जो कि वादीगण अपीलाण्ट को विरासत में प्राप्त हुयी है। वादीगण के पूर्वज विवादित आराजी को संवत 2012 से पूर्व से यानि

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्थान काश्तकारी, विश्वेदारी उन्मूलन लागू होने से पूर्व ही ताहाल लगातार बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी कब्जा काश्त है। परन्तु कागजात पटवार में वादीगण की उक्त आराजी को बजंड सिवायचक दर्ज कर रखा है। जबकि विवादित भूमि कभी भी बजंड के रूप में नहीं रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट के पेश कर्दा दस्तावेज पर कतई विचार नहीं करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादीगण अपीलाण्ट ने अपना स्वयं का बयान कराया था तथा अपने गवाहान के बयान भी कराये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बयानो पर कोई विचार नहीं किया। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्वज राजधर पुत्र भूरा जाति गूर्जर संवत 2010 लगायत 2013 में खुद काश्त दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा भू पत्रक में अपीलाण्ट के पिता धर्म सिंह का कब्जा काश्त आराजी मुतनाजा पर दर्ज रिकार्ड है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विश्वास ना करते हुये आज्ञा जेर अपील देने में कानूनी गलती की है। अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी हुयी हैं एवं उन्होनें पैनल्टी दी है। इसस साबित है कि वादीगण अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा काश्त है। विवादित भूमि कभी बंजड सिवायचक नहीं रही है बल्कि वादीगण अपीलाण्ट एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2072–75 में विवादित आराजी सरकारी भूमि बंजड दर्ज अभिलेख है। प्रदर्श–5 लगायत 7 वादी अपीलाण्ट ने जो रसीदे पेश की हैं वह तहसीलदार बयाना के न्यायालय में धारा 91 एलआरएक्ट के तहत अतिक्रमी को बेदखली की कार्यवाही की हैं। उक्त रसीदो से वादी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। उक्त रसीदे अपीलाण्ट/वादी के कब्जे की पुष्टि के लिए तो मान्य हो सकते हैं। परन्तु यह कब्जा मात्र अतिक्रमी की हैसियत से ही जाहिर होता है। अतः सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि कभी उनके पूर्वजो की खातेदारी में रही हो। इस प्रकार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। उपरोक्त

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवेचनानुसार हम पाते हैं कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक, राजकीय भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुये उसे बेदखल करने की कार्यवाही की गई है। चूँकि विवादित आराजी राजकीय भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। अतः अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार सृजित नहीं हो सकते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 03.10.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर